— (2)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 222/2021

रामनिवास धानका पुत्र श्री राम कुमार धानका ग्राम पोस्ट खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) बुहाना।

—:—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 10.11.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.10.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 222/2021 पर दिनांक 21.10.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/3431–32 दिनांक 21.10.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) बुहाना ने पत्रांक पीए/RTI-22/2021/844 दिनांक 09.11.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बिन्दु संख्या 1 के कम में निवेदन है कि अपीलार्थी रामनिवास धानका पुत्र रामकुमार धानका ग्राम पोस्ट खान्दवा तहसील बुहाना द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने का आवेदन जरिए डाक दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक पीए/RTI – 22/2021/424–25 दिनांक 20.09.2021 को जरिए डाक भिजवाई जा चुकी है। बिन्दु संख्या 2 के कम में निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केवल ऐसी सूचनाऐं प्रदत करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियत्रण में है। सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना उक्त अधिनियम के तहत अपेक्षित नही है। बिन्दु संख्या 3 के कम में निवेदन है कि इस कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक विविध/जा.प./2016/1084 दिनांक 17.02.2016 के संबंध में निवेदन है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र दो गवाह व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाता है। बिन्दु संख्या 4 के कम में निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केवल ऐसी सूचनाऐं प्रदत करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। बिन्दू संख्या 5 के कम में निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केवल ऐसी सूचनाऐं प्रदत करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। सूचना सृजित करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना उक्त अधिनियम के तहत अपेक्षित नही है। बिन्दु संख्या 6 के कम में निवेदन है कि इस कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक विविध/जा.प.

/2016/1084 दिनांक 17.02.2016 के आधार पर ही दो बार प्रमाणित किया गया है। बिन्दु संख्या 7 के क्रम में निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केवल ऐसी सूचनाऐं प्रदत करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना उक्त अधिनियम के तहत अपेक्षित नही है। बिन्दु संख्या 8 के क्रम में निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केवल ऐसी सूचनाऐं प्रदत करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण में पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना उक्त अधिनियम के तहत अपेक्षित नही है। बिन्दु संख्या 9 के क्रम में निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केवल ऐसी सूचनाऐं प्रदत करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना उक्त अधिनियम के तहत अपेक्षित नही है। बिन्दु संख्या 10 के क्रम में निवेदन है कि प्रार्थी रामनिवास धानका पुत्र रामकुमार धानका ग्राम पोस्ट खान्दवा तहसील बुहाना द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने का आवेदन जरिए डाक दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक पीए/RTI–22/2021/424–25 दिनांक 20.09.2021 को जरिए डाक भिजवाई जा चुकी है। बिन्दु संख्या 11 के क्रम में निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केवल ऐसी सूचनाऐं प्रदत करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना उक्त अधिनियम के तहत अपेक्षित नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।

5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) बुहाना पत्रांक पीए/RTI-22/2021/844 दिनांक 09.11.2021 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जिन बिन्दुओं की सूचना नियमानुसार देय थी वो उपलब्ध करवा दी गई है। प्रार्थी को जबकि केवल ऐसी सूचनाऐं प्रदत करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियत्रण में है। सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना उक्त अधिनियम के तहत अपेक्षित नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 10.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/21

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं